

कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक B/3282 / एक-15-1 / 96

शिवपुरी, दिनांक 02 / 09 / 2025

प्रतिलिपि यथाआदेश :-

श्रीमती प्राची शर्मा उपाध्याय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी की ओर आपके न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक 752 दिनांक 02.09.2025 से प्राप्त माह सितम्बर-2025 एवं अक्टूबर-2025 हेतु "रिमाण्ड ड्यूटी आदेश" माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन उपरांत मूलतः प्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

वास्ते—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
 शिवपुरी, म0प्र0।

न्यायालय : प्राची शर्मा उपाध्याय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी म.प्र.

क्रमांक- 752

शिवपुरी दिनांक- 02.09.2025

-:: रिमाण्ड ड्यूटी आदेश ::-

मैं प्राची शर्मा उपाध्याय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला शिवपुरी म0प्र0 नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 12 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह सितम्बर-अक्टूबर 2025 में सार्वजनिक अवकाश के दिनों में जिला मुख्यालय शिवपुरी एवं तहसील के समस्त आरक्षी केन्द्रों/जांच एजेंसियों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य करने हेतु निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाती हूँ :-

क.	पीठासीन अधिकारी का नाम एवं स्थान	स्थान	माह सितम्बर-अक्टूबर 2025 के पूर्व से घोषित सार्वजनिक अवकाश दिनांक
1	2	3	4
1-	श्रीमती ऋचा सिंह राजावत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी।	शिवपुरी	20-09-2025 23-10-2025
2-	सुश्री प्रिया शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।	शिवपुरी	21-09-2025 28-09-2025 12-10-2025
3-	सुश्री प्रीति परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।	शिवपुरी	03-10-2025 04-10-2025 05-10-2025 26-10-2025
4-	श्रीमती प्रत्यक्षा कुलेश, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।	शिवपुरी	30-09-2025 01-10-2025 02-10-2025 22-10-2025
5-	सुश्री निहारिका व्यास, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।	शिवपुरी	05-09-2025 14-09-2025 18-10-2025 19-10-2025

6-	श्री धर्मवीर सिंह राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।	शिवपुरी	06-09-2025 07-09-2025 20-10-2025 21-10-2025
7-	श्रीमती आकांक्षा यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी	करैरा	28-09-2025 03-10-2025 04-10-2025 05-10-2025
8-	श्री भूपेन्द्र यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी	करैरा	05-09-2025 30-09-2025 01-10-2025 02-10-2025
9-	श्री भूपेन्द्र सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी	करैरा	20-09-2025 21-09-2025 20-10-2025 21-10-2025
10-	सुश्री काजल रेनीवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी	करैरा	06-09-2025 07-09-2025 18-10-2025 19-10-2025 26-10-2025
11-	श्री रज्जेश पाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी	करैरा	14-09-2025 12-10-2025 22-10-2025 23-10-2025
12-	श्री विकास विश्वकर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर, जिला शिवपुरी	पिछोर	21-09-2025 03-10-2025 04-10-2025 05-10-2025 26-10-2025
13-	श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर, जिला शिवपुरी	पिछोर	05-09-2025 06-09-2025 07-09-2025 28-09-2025

			30-09-2025 14-09-2025 01-10-2025 02-10-2025 12-10-2025
14-	सुश्री नेहा प्रजापति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर, जिला शिवपुरी	पिछोर	20-09-2025 18-10-2025 19-10-2025 20-10-2025 21-10-2025 22-10-2025 23-10-2025
15-	श्री राहुल दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस, जिला शिवपुरी	कोलारस	07-09-2025 14-09-2025 30-09-2025 12-10-2025 18-10-2025 19-10-2025
16-	श्रीमती प्रीति पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस, जिला शिवपुरी	कोलारस	05-09-2025 06-09-2025 28-09-2025 05-10-2025 20-10-2025 21-10-2025 26-10-2025
17-	श्रीमती रजनी मीरोठा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस, जिला शिवपुरी।	कोलारस	20-09-2025 21-09-2025 01-10-2025 02-10-2025 03-10-2025 04-10-2025 22-10-2025 23-10-2025
18-	श्रीमती अंजली पटेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,	पोहरी	14-09-2025

	पोहरी, जिला शिवपुरी		20-09-2025 21-09-2025 03-10-2025 04-10-2025 05-10-2025 12-10-2025 21-10-2025 22-10-2025 23-10-2025 26-10-2025
19-	सुश्री काजल नायक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पोहरी, जिला शिवपुरी	पोहरी	05-09-2025 06-09-2025 07-09-2025 28-09-2025 30-09-2025 01-10-2025 02-10-2025 18-10-2025 19-10-2025 20-10-2025
20-	सुश्री मोनिका वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खनियाधाना, जिला शिवपुरी।	खनियाधाना	05-09-2025 06-09-2025 07-09-2025 20-09-2025 21-09-2025 14-09-2025 28-09-2025 30-09-2025 04-10-2025 05-10-2025 12-10-2025 18-10-2025 22-10-2025 23-10-2025 26-10-2025

नोट :-

01. रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट की उक्त दिनांक की ही मुख्यालय अनुमति स्वीकृत नहीं की जायेगी, जब तक कि अत्यधिक अनिवार्य परिस्थिति न हो। यदि रिमाण्ड ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट किसी कारणवश किसी भी प्रकार के अवकाश पर अथवा अपरिहार्य कारणवश मुख्यालय से बाहर प्रस्थान करने को विवश है, तो यह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह मुख्यालय पर उपस्थित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों में से किसी एक से सामंजस्य स्थापित कर नियत तिथि पर रिमाण्ड ड्यूटी की व्यवस्था सुनिश्चित करे तथा ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेटों का अवकाश आवेदन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय शिवपुरी को तभी अग्रेषित किया जा सकेगा, जब रिमाण्ड ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट के द्वारा अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से ऐसी सहमति रिमाण्ड ड्यूटी करने की प्राप्त कर ली गयी है, इस तथ्य की सूचना संबंधित मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवपुरी को अनिवार्यतः देंगे।
02. माह सितम्बर-अक्टूबर 2025 में किसी कार्य दिवस को अवकाश घोषित किये जाने की दशा में तथा पूर्व से घोषित ऐसे स्थानीय अवकाश बावत् या अन्य किसी प्रकार के अवकाश बाबत् जिसके बारे में इस आदेश में उल्लेख नहीं हो सका है, उसके संबंध में जिला न्यायालय शिवपुरी में उक्त दिनांक को रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादन सुश्री प्रीति परिहार, जे0एम0एफ0सी0 शिवपुरी के द्वारा, न्यायालय कोलारस में श्रीमती प्रीति पाण्डेय, जे0एम0एफ0सी0 कोलारस द्वारा, न्यायालय करैरा में श्री रज्नेश पाल, जे0एम0एफ0सी0 करैरा के द्वारा, न्यायालय पिछोर में सुश्री नेहा प्रजापति, जे0एम0एफ0सी0 पिछोर के द्वारा, न्यायालय खनियाधाना में सुश्री मोनिका वर्मा जे0एम0एफ0सी0 खनियाधाना अथवा तहसील पिछोर में उपलब्ध मजिस्ट्रेट द्वारा एवं न्यायालय पोहरी में सुश्री काजल नायक, जे0एम0एफ0सी0 पोहरी के द्वारा किया जावेगा।
03. यदि जिले में तैनात कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी प्रकार के अवकाश पर अथवा प्रशिक्षण पर प्रस्थान करता है एवं अन्य कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है तब अंतिम विकल्प के रूप में उक्त मजिस्ट्रेट के स्थान पर रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादन उस न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा निष्पादित किया जावेगा जो कि मूल आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2025 के अनुसार उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय का अत्यावश्यक आपराधिक कार्य निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया गया है।
04. यदि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होता है तो उक्त न्यायिक

मजिस्ट्रेट के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा अत्यावश्यक आपराधिक कार्य/रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादित किया जावेगा।

05. अत्यावश्यक आपराधिक कार्य/रिमाण्ड के कार्य का निष्पादन संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा दिन के 03.00 बजे से 05.00 बजे तक किया जा सकेगा एवं उक्त दौरान उस न्यायिक मजिस्ट्रेट का समस्त स्टाफ उपस्थित रहेगा।
06. रिमांड ड्यूटी वाले मजिस्ट्रेट के लिये यह आवश्यक होगा कि अर्जेंट कार्य अथवा प्रोटोकॉल की स्थिति में वे ड्यूटी दिनांक को आवश्यक रूप से अपने मुख्यालय पर ही उपस्थित रहें।
07. तहसील पिछोर जिला शिवपुरी में दिनांक 01.10.2025, 02.10.2025, 03.10.2025, 19.10.2025, 20.10.2025, 21.10.2025 को कोई पीठासीन अधिकारी के उपस्थित न होने की स्थिति में उक्त दिवस की रिमांड ड्यूटी न्यायालय पिछोर में रिमांड ड्यूटी हेतु मौजूद न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित की जायेगी।

नोट:- दशहरे एवं दीपावली के अवकाश के दौरान रिमांड ड्यूटी वाले प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाये कि वे अपनी ड्यूटी दिनांक को अप्रत्याशित परिस्थिति के अतिरिक्त, अपनी पदस्थापना स्थान पर ही उपस्थिति रहेंगे तथा अप्रत्याशित परिस्थिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति एवं उक्त स्थान पर पदस्थ अन्य मजिस्ट्रेट के उपलब्ध होने के उपरांत ही मुख्यालय छोड़ेंगे।

अनुमोदित

(Rajendra Prasad Soni)
Principal District & Sessions Judge
Shivpur (M.P.)

21/10/25

(प्राची शर्मा उपाध्याय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शिवपुरी म.प्र.